दिनांकः **22.09.2025**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 बदमाश/गोकश घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, गोकशी करने के उपकरण व 01 बिना नम्बर प्लेट की चोरी की मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, गोकशी आदि होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 21/22.09.2025 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक देवबंद द्वारा मय फोर्स मंगलौर से ग्राम बीबीपुर जाने वाली रोड पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखिबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राम बीबीपुर के जंगलों में गोकशी करने की फिराक में है। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति मंगलौर रोड की तरफ से आते दिखाई दिए, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया, वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर ग्राम बीबीपुर की तरफ जाने वाले रास्ते भागने लगे। पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गई। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों द्वारा पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर खाली पड़े प्लॉट व खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिनें पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। दो अन्य बदमाश अंधेरे व खेतों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फरार अभियुक्तों की तलाश हेतु लगातार कांबिंग की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान **शाकिर उर्फ गोलू पुत्र असगर निवासी वक्फ दारुलुम खान खा थाना देवबंद सहारनपुर** के रुप में हुई। घायल बदमाश को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश के विरुद्ध थाना देवबंद पर गोकशी, आर्म्स एक्ट, मारपीट तथा चोरी आदि के कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0-739/2025 धारा 109(1)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं तथा मेरे साथी मिलकर रात्रि में सडक पर आवारा घूमते हुए पशुओं पकडकर गौकशी करते है तथा मांस बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते है आज भी हम लोग आवारा घूमने वाले गोवंश को पकडकर गोकशी करने के इरादे से निकले थे तभी रास्ते में पुलिस को चैकिंग करता देख हमने पकडे जाने के डर से पुलिस पर फायरिंग कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाकिर उर्फ गोलू पुत्र असगर निवासी वक्फ दारुलुम खान खा थाना देवबंद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर
- गौकशी के उपकरण (लकडी का गुटका, एक रस्सी, एक छूरी)
- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-607/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 675/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 305(ए) /317(2) बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 268/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0- 514/23 धारा 323 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0-739/2025 धारा 109(1)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबंद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री संजय राणा थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. है0का0 1216 ब्रहमप्रकाश थाना देवबन्द सहारनपुर।
4. है0का0 561 शमीम अहमद थाना देवबन्द सहारनपुर।
5. का0 2107 रवि राठी थाना देवबन्द सहारनपुर।
6. है0का0 44 शैलेन्द्र थाना देवबन्द सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.09.2025

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना गंगोह पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गोकशी के मुकदमे में 01 नामजद वांछित व 01 घायल सहित कुल 02 बदमाश/गोकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध चाकू, गोकशी करने के उपकरण व 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, गौकशी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 21/22.09.2025 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक गंगोह द्वारा मय फोर्स कस्बा गंगोह पशु पैठ चौराहा से ग्राम बुड्ढाखेड़ा की तरफ जाने वाली रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति ग्राम बुड्ढाखेड़ा रोड की तरफ से आते दिखाई दिए, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया, वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर वापिस बुड्ढाखेड़ा रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गई। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों द्वारा पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिनें पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया व 01 बदमाश को घेर घोंटकर गिरफ्तार किया गया। तथा 01 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु लगातार कांबिंग की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान **आस मोहम्मद उर्फ आशु पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला गुलाम औलिया कस्बा गंगोह जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई एवं दूसरे गिरफ्तार बदमाश की पहचान **इश्तियाक पुत्र रमजान निवासी मोहल्ला मखदूम जहां थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाश इश्तियाक थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0स0 401/25 धारा 3/8 गोवध अधिनियम व 325 बीएनएस के मुकदमें का वांछित अभियुक्त है। घायल बदमाश आश मौहम्मद के विरुद्ध थाना नकुड़ व गंगोह पर चोरी, गोकशी, आर्म्स एक्ट, गुण्ड़ा एक्ट, धोखाधड़ी आदि आपराधिक घटनाओं में करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0 406/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/4/25/27 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 18.09.2025 की सुबह करीब 4 बजे हम लोग लखनौती रोड पर गाय की तलाश में घूम रहे थे तभी हमे मौहल्ला मखदूम जहाँ की तरफ से एक गाय आती हुई दिखाई दी थी, जिसके गले में जेवड़ा भी पडा था, जो शायद किसी के घर से खुलकर आ गयी थी तो

हम तीनो लोग उस गाय को पकडकर लखनौती रोड पेट्रोल पम्प के पीछे एकता कॉलोनी में ले गए थे। वहां पर हमने उस गाय को काट दिया था जिसके कुछ अवशेष वही पड़े रह गये थे। आज भी हम लोग किसी गौवंश की तलाश में घूम रहे थे तो पुलिस को चैकिंग करता देख हमने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. आस मोहम्मद उर्फ आशु पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला गुलाम औलिया कस्बा गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. इश्तियाक पुत्र रमजान निवासी मोहल्ला मकराम जहां थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 अवैध चाकू
- गौकशी के उपकरण
- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आस मोहम्मद का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 749/17 धारा 414/420 भा0द0वि0 व धारा 102/41 द0प्र0सं0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 751/17 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 397/19 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 300/20 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 297/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 401/2025 धारा 325 बीएनएस व 3/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त इश्तियाक का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 401/25 धारा 3/8 गोवध अधिनियम व 325 बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री केरन सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
5. हे0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
6. हे0का0 1013 राहुल तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
7. का0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
8. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि आज दिनांक 22.09.2025 दिन सोमवार को पुलिस अधीक्षक यातायात, सहारनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात, सहारनपुर की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस (23 सितम्बर 2025) के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों एवं समस्त पुलिस परिक्षेत्रो में सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण, Deaf Awareness, Accessible FIR/Statement Support तथा RPwD-2016 के अनुपालन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन विशेष शिक्षक द्वारा जिला प्रशिक्षण इकाई (डी0टी0यू0) पुलिस लाईन सहारनपुर में ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद में नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसमें कु0 राजेश विशेष शिक्षिका, श्रीमती अक्षमा समन्वयक व डॉ0 विष्णु कुमार स्पीच थेयरिस्ट, सहारनपुर द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को सांकेतिक भाषा के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया।

दिनांक: 22.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरी की 03 अलग-अलग घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से 02 सोलर प्लेट, 02 मोबाईल फोन, 01 जोडी पायल (सफेद धातु), 01 झुमका (पीली धातु), 09 बीडी के पैकेट, 11 पैकेट सिगरेट व 2195/- रुपये (चिल्लर) बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 08.08.2025 को** वादी श्री डा0 निशान्त पाल C.H.O सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पाली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 07.08.2025 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा ग्राम पाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की छत पर 02 किलो वाट के सौर उर्जा की प्लेट चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 156/25/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया **व दिनांक 21.08.2025 को** वादी श्री राजकुमार पुत्र समय सिंह निवासी सम्भलहेडी थाना गागलहेडी सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से दो मोबाईल रेडमी व रियलमी व अलमारी मे रखे सोने की दो अंगुठी व कान का झुमका व पाजेब चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 191/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। **तथा दिनांक 19.09.25 को** वादी श्री जीशान पुत्र मकसूद निवासी मोहददीनपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा वादी दुकान से बीडी व सिगरेट के पैकेट व गल्ले से कुछ खुल्ले पैसे रेजगारी चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 256/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/वाहन चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर चोर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 03 वांछित शातिर चोर/अभियुक्तगण **1. नीरज शर्मा पुत्र कुशल पाल शर्मा निवासी ग्राम खेडा पुन्डीर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 2. विजयपाल पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम बढेडी गूगु थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर 3. नाथीराम पुत्र शौराज निवासी ग्राम बढेडी गूगु थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को तिवाया रोड़ पर खतौली को जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर **02 सोलर प्लेट, 02 मोबाईल, 01 जोडी पायल (सफेद धातु), 01 झुमका (पीली धातु), 09 बीडी के पैकेट, 11 पैकेट सिगरेट व 2195/- रुपये (चिल्लर)** बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में धारा 317(2)/331(4) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोबाईल व पाजेब व झुमके हमने दिनांक 20.08.2025 की रात्रि में ग्राम सम्भलहेडी से चोरी किये थे। तथा दिनांक 7/8.08.2025 की रात्रि मे ग्राम पाली के जंगल मे बने आरोग्य केन्द्र से सौर उर्जा के दो पैनल चोरी किये थे तथा दिनांक 18/19.09.2025 की रात्रि मे

गागलहेडी कस्बे की एक दुकान के गल्ले से कुछ सिक्के व बीडी के बन्डल के टुकडे (पूडा) व सिगरेट के पैकेट चोरी किये थे जिसको हम बेच देते है आज भी मै और मेरे साथी चोरी करने के लिए इक्टठा हुए थे परन्तु आप लोगों ने हमे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. नीरज शर्मा पुत्र कुशल पाल शर्मा निवासी ग्राम खेडा पुन्डीर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
2. विजयपाल पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम बढेडी गूगु थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
3. नाथीराम पुत्र शौराज निवासी ग्राम बढेडी गूगु थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 02 सोलर प्लेट
- 02 मोबाईल फोन
- 01 जोडी पायल (सफेद धातु)
- 01 झुमका (पीली धातु)
- 09 बीडी के पैकेट
- 11 पैकेट सिगरेट
- 2195/- रुपये (चिल्लर)

अभियुक्त नीरज शर्मा का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 216/23 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना को0नगर।

अभियुक्त विजय का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 303/19 धारा 366 भादवि चालानी थाना बडगांव।
2.मु0अ0सं0 75/24 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 देवकरन शर्मा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. है0का0 38 सुरेन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. है0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
6. का0 2509 रविन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **22.09.2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2025 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **शेखर पुत्र श्याम निवासी हासिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (**सम्बन्धित वाएसटी नं0 1667/2024, मु0अ0स0 236/2024 धारा 376 भादवि चालानी थाना देवबन्द सहारनपुर) को हासिमपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शेखर पुत्र श्याम निवासी हासिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 इन्द्रजीत सिह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

2- है0का0 44 शैलेन्द्र सिह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **22.09.2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे जनपद में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.09.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त **1.दीपक पुत्र नरेश निवासी ग्राम बीदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर 2.अक्षय पुत्र ब्रिजेश निवासी ग्राम काजीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 389/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

1. दीपक पुत्र नरेश निवासी ग्राम बीदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. अक्षय पुत्र ब्रिजेश निवासी ग्राम काजीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

➢ 02 अवैध चाकू

अभियुक्त दीपक का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 398/20 धारा 308,452 भादवि0 थाना सरसावा।
2. मु0अ0सं0 327/23 धारा 380, 411, 454 भादवि0 थाना सरसावा।
3. मु0अ0सं0 389/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा।

अभियुक्त अक्षय का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 106/24 धारा 307,323,506 भादवि0 व 3/25/27 आर्म एक्ट थाना सरसावा।
2. मु0अ0सं0 389/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 प्रेमपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 845 तेजेन्द्र सिंह तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1134 संदीप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

दिनांक 22.09.2025

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस व थाना एएनटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 713 ग्राम अवैध स्मैक पाऊडर बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.09.2025 को थाना ANTF व थाना नानौता पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **तस्सव्वर पुत्र हारुण निवासी ग्राम घाटमपुत्र थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को बुन्दुगढ पुलिया से गंगोह की तरफ हाईवे से जाने से वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **713 ग्राम नाजायज स्मैक पाऊडर** बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0- 231/25 धारा- 8/21(C)/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

तस्सव्वर पुत्र हारुण निवासी ग्राम घाटमपुत्र थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना ANTF जनपद सहारनपुर।
3. है0 कां0 820 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. है0कां0 129 निपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
5. है0कां0 अश्वनि कुमार थाना ANTF जनपद सहारनपुर।
6. कां0 शिवम चौधरी थाना ANTF जनपद सहारनपुर।
7. कां0 सूरज देशवाल थाना ANTF जनपद सहारनपुर।
8. कां0 नागेन्द्र यादव थाना ANTF जनपद सहारनपुर।
9. कां0 1666 पंकज थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक 22.09.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 516 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त **दीपक पुत्र नाथीराम नि0 ग्राम मिरगपुर पाँजूवाला थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को शाकुम्भरी रोड से नौगाँवा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से **516 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 419/25 धारा- 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दीपक पुत्र नाथीराम नि0 ग्राम मिरगपुर पाँजूवाला थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 408/25 धारा- 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 419/25 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 तरूण कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. का 1759 सावन कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 22.09.2025

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”अभियान चलाया जा रहा है।

इसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2025 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभि0 रहमान पुत्र मौहम्मद आलम निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर** को हरियाबांस हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 11.20 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 260/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै अवैध स्मैक की खरीद फरोख्त का धंधा काफी समय से कर रहा हूँ। गागलहेडी क्षेत्र और जनपद सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रो मे नशा करने वाले लोगो व हाईवे पर स्थित ढाबो पर आने जाने वाले ट्रक ड्राईवरो को अच्छे दामो मे बेच देता हूँ। जिससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रहमान पुत्र मौहम्मद आलम निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 11.20 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
(2) उ0नि0 श्री राकेश शर्मा गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
(3) उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
(4) है0का0 38 सुरेन्द्र गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
(5) का0 2509 रविन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

दिनांक 22.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ,श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक रेज सहारनपुर व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सहारनपुर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों में कृत कार्यवाही का विवरण

अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक रेज सहारनपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, अपराधियों पर निरन्तर निगरानी करके उनकी वर्तमान सक्रियता पर सघन दृष्टि रखना व वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर/लूटेरे/गौकश/नकबजन अपराधियों की गिरफ्तारी, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी कर दोषियों को सजा कराने,गैर जमानतीय वारंटियो की गिरफ्तारी, माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेशिकाओ का तामीला, लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण अभियान, ऑपरेशन क्लीन के तहत थानों पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु, विभिन्न स्तरो पर लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी, साइबर अपराध में ठगी गयी धनराशि वापस कराने, चोरो द्वारा ड्रोन कैमरों का प्रयोग कर चोरी करने की अफवाहो के सम्बन्ध में जन चौपालों का आयोजन कर जागरूकता अभियान, अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू अभियान चलाये जा रहे है। अभियानो के अनुपालन मे सहारनपुर पुलिस द्वारा पूर्ण मनोयोग से कार्यवाही की जा रही है जिससे अपराध मे कमी आयी है एव आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढा है। सहारनपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियानो मे की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ द्वारा चलाये गये अभियानों में कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

- अभियान के दौरान लम्बित1626 विवेचनाओं का गुण-दोष के आधार पर गुणवत्तापूवर्क निस्तारण किया गया हैं।
- साइबर हेल्पलाईन 1930 पर प्रतिदिन आने वाली एवं अटेण्ड की जानी वाली कॉल्स के सम्बन्ध 2341 शिकायतों का गुणवत्तापू निस्तारण कराया जा चुका हैं।
- साइट्रेन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 350 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण कराकर 182 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया हैं।

- अभियान के दौरान महिला सम्बन्धित अपराधों में कुल 195 अभियोगों का निस्तारण किया गया है। तथा 258 अभियुक्तों के विरूद्ध गिरफ्तार/हाजिर/नोटिस की कार्यवाही की गयी हैं।
- अभियान के दौरान अभियोजन के सम्बन्ध में (मजिस्ट्रीयल ट्रायल केस) 41 केसों में सजा करायी गयी हैं।
- अभियान के दौरान अभियोजन के सम्बन्ध में (सैशन ट्रायल केस) 24 केसों में सजा करायी गयी है।
- अभियान के दौरान पॉक्सो, एससी/एसटी एवं एमएसीटी कोर्ट में लम्बित केस में 18 केसों का निस्तारण कराया गया है।
- अभियान के दौरान 10120 सम्मन, 1730 जमानती वारण्ट की तामीला करायी गयी है तथा गैर जमानती वारण्टों में 1765 अभियुक्तों पर कार्यवाही करायी गयी हैं।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर रेंज सहारनपुर द्वारा चलाये गये अभियान आपरेशन सवेरा में कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण

- ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत दिनांक 14.08.25 से 21.9.25 में 62 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें 80 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। जिनसे 3.784 किलोग्राम स्मैक जिसका अनुमानित मूल्य 37840000/- व 4.279 किलोग्राम चरस जिसकी अनुमानित मूल्य 427900/- व 7800 अल्प्राजोल नशीली गोली जिसका अनुमानित मूल्य 31000/-रूपये बरामद की गयी है।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा चलाये गये अभियानों में कार्यवाही कृत का संक्षिप्त विवरण-

- **आपरेशन कन्विक्शनः-** दिनांक 22.08.2025 मे 21.09.2025 तक सहारनपुर पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते कुल 73 अभियोगो मे 79 अभियुक्तो को माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड व कारावास से दण्डित किया गया।
- **IGRS प्रार्थना पत्र गुणवत्तापूर्वक निस्तारण-** दिनांक 01.07.2025 से 21.09.2025 तक आईजीआरएस पोर्टल पर कुल 6472 शिकायती प्रार्थना पत्रों की गहनता से जाँच कर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण का किया तथा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक प्राप्त करने पर जनता से प्राप्त संतुष्टी का फीडबैक कुल 87 प्रतिशत रहा।
- **अभियान "ऑपरेशन क्लीन-02"-** दिनांक 01.07.2025 से 20.09.2025 तक प्रचलित अभियान आपरेशन क्लीन-2 के अन्तर्गत 984 वाहन व 854 अन्य माल कुल1838 मालो का विधिक निस्तारण

कराया गया। वाहन नीलामी व जुआ अधिनियम से 32,81,422/- रूपये का राजस्व प्राप्त कर राजकोष मे जमा कराया गया।

- **<u>गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी</u>**- दिनाक 21.08.2025 से 14.09.2025 तक 80 गुमशुदा मोबाईल फोन को सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस किया गया है शीघ्र बरामद कर सुपुर्द किया जायेगा।

- **<u>नलकूप/तार/ट्रासफार्मर चोरी करने वाले अभियुक्तो का सत्यापन</u>**- दिनांक 21.09.2025 तक 210 अभियुक्तो का सत्यापन कर उनकी गतिविधियो पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जिसमे नलकूप चोरी मे कमी आयी है।
- **<u>लम्बित विवेचनाओ के निस्तारण के अभियान-</u>** दिनांक 22.08.2025 से 20.09.2025 तक 1626 विवेचनाओ का गुणवत्तापूवर्क निस्तारण किया गया।
- **<u>डायल-112 पर ड्रोन कैमरो के सम्बन्ध मे प्राप्त झूठी सूचना</u>**- दिनांक 01.07.2025 से 21.09.2025 तक 173 सूचनाए प्राप्त नही हुई। जन चौपाल लगाकर लोगो को जागरूक किया गया तथा झूठी अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी एवं जनता से झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।
- **<u>चोर/नकबजनो/लुटेरे अभियुक्तो का सत्यापन-</u>** दिनांक 21.09.2025 तक 9209 चोर, लूटरे, नकबजन अभियुक्तो का सत्यापन किया गया तथा सक्रिय अपराधियो के विरूद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा अपराधियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।
- **<u>थाना साइबर क्राइम/थानो पर गठित साइबर सैल द्वारा वापस करायी गयी धनराशि-</u>** दिनांक 01-07-2025 से दिनांक 21.09.2025 तक साइबर अपराधियों द्वारा साइबर फ्राड करके ठगी गयी धनराशि से में कुल 37,53,568/- रूपये की धनराशि पीडितो के खाते मे वापस करायी गयी।
- **<u>घुमन्तु प्रजाति के लोगो का सत्यापन/चैकिग-</u>** दिनांक 20.09.2025 को चलाये गये अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में कुल 467 विभिन्न स्थानों पर जाकर जनपदवासियो को जागरुक किया गया तथा घुमन्तु प्रजाति के कुल 595 व्यक्तियों को चैक किया गया, जिनमें से घुमन्तु प्रजाति के कुल 16 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170 बी.एन.एस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

-प्रेस नोट-

दिनांक 22.09.2025

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा शासन की मनंसा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण हेतु समस्त थानों पर महिला शक्ति केन्द्र स्थापित कर कराया गया उद्घाटन

- **मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता ,सुरक्षा ,स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति फेज 5.0 दिनांक 22.09.2025 से 30 दिवस का विशेष अभियान का शुभारंम्भ किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य देश की सभी महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता शामिल है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और हिंसा एवं भेदभाव से मुक्त जीवन जी सकें। यह अभियान दो मुख्य कार्यक्षेत्रों में काम करता है: 'संबल' जो महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, और 'सामर्थ्य' जो उनके सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। मिशन शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, जिसमें उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी शामिल है. यह एक मिशन-मोड योजना है जो महिलाओं की जीवन-चक्र के हर चरण में मुद्दों को संबोधित करके और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करके उनके विकास को बढ़ावा देती है। महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कर पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती की जानी है।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान “मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारियो/ एण्टीरोमियों टीम द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बा,चौराहों, स्कूलों/कॉलेजों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा शासन व पुलिस विभाग द्वारा

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण स्वावलंबन हेतु चलाई जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरुक किया जा रहा है। मिशन शक्ति फेज-5.0 प्रमुख उद्ददेश्य महिला सुरक्षा और संरक्षा: - महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण। महिला सशक्तिकरण: - महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान “मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण, सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश मे नगर व देहात क्षेत्र के समस्त थाना मे उच्चाधिकारीगण की उपस्थिति मे मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापन कर उद्घाटन किया गया।

➢ जनपद सहारनपुर के समस्त थानो पर मिशन शक्ति केन्द्र उद्घाटन कर्ता का विवरण निम्नवत है।

- मिशन शक्ति केन्द्र थाना कोतवाली नगर--सुश्री रूचि गुप्ता क्षेत्राधिकारी कार्यालय सहारनपुर
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना मण्डी- श्रीमति माधुरी शर्मा प्रधानाचार्य हिन्दू कन्या इण्टर कालेज
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना कुतुबशेर- सुश्री प्रिया यादव क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना सदर बाजार-श्रीमति अल्पना तलवार अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना कोतवाली देहात-श्रीमति सुषमा बजाज प्रधानाचार्य सेन्ट मैरी इण्टर कालेज
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना जनकपुरी-श्रीमति साधना प्रधानाचार्य एल मून पब्लिक स्कूल
- मिशन शक्ति केन्द्र महिला थाना-श्रीमति सोनिका खण्ड विकास अधिकारी
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना फतेहपुर- सुश्री प्रिया यादव क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना गागलहेडी- सुश्री प्रिया यादव क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना चिलकाना- रज्जो, रिहाना महिला सामाजिक सस्था दिशा कैंपस

- मिशन शक्ति केन्द्र थाना देवबन्द-श्रीमति सीमा प्रधानाचार्य दून वैली पब्लिक स्कूल देवबन्द
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना नागल-म0उ0नि0 सुमन व मन्जू थाना नागल सहारनपुर
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना बडगांव-डा. पूर्वा शर्मा उपजिलाधिकारी रामपुर मनिहारन
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना नकुड- श्रीमति पूनम रानी प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज नकुड
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना सरसावा- श्रीमति राज चौधरी प्रधानाचार्य मदर टेरेसा कालेज सरसावा
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना रामपुर मनिहारन-डा. पूर्वा शर्मा SDM रामपुर मनिहारन
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना बेहट- सुश्री रूचि गुप्ता क्षेत्राधिकारी कार्यालय सहारनपुर
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना बिहारीगढ-श्रीमति प्रतिभा श्रीवास्तव प्रधानाचार्य राजकीय जूनियर विद्यालय
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना मिर्जापुर-उ0नि0 दीक्षा थाना मिर्जापुर सहारनपुर
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना गंगोह-श्रीमाति शालू चौधरी प्रधानाचार्य प्रभा ज्योति पब्लिक स्कूल कस्बा गंगोह
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना नानौता- डा. पूर्वा शर्मा उपजिलाधिकारी रामपुर मनिहारन
- मिशन शक्ति केन्द्र थाना तीतरो- निशा, तरू, छात्रा सरस्वती इण्टर कालेज तीतरो

-प्रेस नोट-

दिनांक: 22.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान 01 हाईड्रोल, 01 चैन (लोहा),01 पट्टी (हिच), बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.2025 को वादी श्री निशान्त पुत्र सतीश कुमार ग्राम बढेडी कोली थाना नागल जनपद सहारनपुर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर बावत चोरो के द्वारा वादी की 1.ड्रोवाल , एक हैडरोली ,एक हिच, ट्रैक्टर की बैट्री, तथा लोहे की चेन आदि सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0सं0 296/25 धारा 303(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी व चोरी गये सामान की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मे नागल पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 22.09.2025 को मात्र 12 घण्टे के अन्दर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए ग्राम भाटखेडी सहारनपुर रोड के पास से अभियुक्तगण 1. सुमित पुत्र काला निवासी ग्राम बढ़ेली कोली थाना नागल जिला सहारनपुर 2. शिवा पुत्र जनेश्वर निवासी ग्राम बढ़ेली कोली थाना नागल जिला सहारनपुर उम्र 3. नीशु पुत्र जगदीश निवासी ग्राम बढ़ेली कोली थाना नागल जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये 01 हाईड्रोली, 01 चैन लोहे की व 01 पट्टी(हिच) बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सुमित पुत्र काला निवासी ग्राम बढ़ेली कोली थाना नागल जिला सहारनपुर
2. शिवा पुत्र जनेश्वर निवासी ग्राम बढ़ेली कोली थाना नागल जिला सहारनपुर
3. नीशु पुत्र जगदीश निवासी ग्राम बढ़ेली कोली थाना नागल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 हाईड्रोल,
- 01 चैन (लोहा)
- 01 पट्टी(हिच)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बंटी सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना नागल सहारनपुर
4. है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नागल सहारनपुर
5. का0 1851 पंकज कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.09.2025

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा वादी हित में ठगी की कुल 3,27,000/- रुपये की धनराशि आवेदक के खाते मे वापस करायी गयी।</u>

अवगत कराना है कि वादी श्री आजम पुत्र कुरबान निवासी हस्मत कालोनी,जनपद सहारनपुर द्वारा दिनांक 05.07.2025 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया **जिसके अनुसार वादी के लकडी के कारोबार हेतु प्रचलित फोन पे के QR कोड को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक किया गया जिसके उपरान्त कस्टमर से प्राप्त धन किसी ओर के खातों में रू0 3,27,000/- स्थानान्तरित हो गये थे।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए उक्त पैसे को वापस दिलाने हेतु साइबर क्राइम थाना सहारनपुर को दिशा-निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर(नोडल अधिकारी साइबर क्राइम), सहारनपुर व सहायक पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी की समस्त धोखाधडी राशि **रू0 3,27,000/- को वादी के खाते में वापस करा दिया गया है।**

<u>साईबर पुलिस टीम का विवरण</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 1141 रोहित कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
3. है०का० निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
4. का० 2087 अंकित जाखड, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
5. म0 का0 1869 रुपा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।

<u>CAUTION-</u> किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये तथा साइबर अपराध होने पर थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर के सीयूजी मो0न0- 7839876635 व साईबर सैल के सीयूजी मो0न0 7417754148 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त करें।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.04.2019 को वादी उ0नि0 पवन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की सूचना द्वारा **अभि0 आमिर पुत्र अर्भर हुसैन नि0 ग्राम साबरी का बाग थाना मण्डी जिला सहारनपुर** के कब्जे से 120 नशीली गोलिया निट्राँवैट-10 वजन 66 ग्राम बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-285/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-850/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 22.09.2025 को अभियुक्त आमिर पुत्र अर्भर हुसैन निवासी ग्राम साबरी का बाग थाना मण्डी जिला सहारनपुर को मु0अ0स0-285/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उ0नि0 देवेन्द्र सिंह
पैरोकार-म0है0का0 संगीता थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.04.2019 को वादी उ0नि0 पवन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की सूचना द्वारा **अभि0 शाहिद पुत्र अजहर हुसैन नि0 ग्राम साबरी का बाग थाना मण्डी जिला सहारनपुर** के कब्जे से 110 नशीली गोलिया निट्रावैट-10 वजन 60 ग्राम बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-286/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-852/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 22.09.2025 को अभियुक्त शाहिद पुत्र अजहर हुसैन नि0 ग्राम साबरी का बाग थाना मण्डी जिला सहारनपुर को मु0अ0स0-286/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट को दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उ0नि0 देवेन्द्र सिंह
पैरोकार-म0है0का0 संगीता थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।